तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20/12/23	आज यह पत्रावली थानाधिकारी कैथवाड़ा के पत्र क्रमांक SPL-1 दि. 18/12/23 पर कार्यालय से तलब किये गये। थानाधिकारी कैथवाड़ा ने अपने पत्र में निवेदन किया है कि श्री मान जी के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण रामी बनाम रामबाबू अन्तर्गत धारा इजराय में मुस्तगीस मदनमोहन पुत्र कैलाशचन्द जाति ब्राह्मण नि. कैथवाड़ा ने इस्तगासा 156(3) CRPC के तहत न्यायालय श्री मान ACJM साहब कामां पेश किया है कि अभियुक्त रामी ने एक इजराय न्यायालय एस. डी. एम. साहब पहाड़ी के यहां मुझ परिवादी व अभियुक्त की साझे की जमीन की पेश की। उक्त इजराय में एस डी एम. साहब पहाड़ी द्वारा मुझ परिवादी व मेरे पारिवारिक जनों को नोटिस जारी किये गये जिनको अभियुक्त सं. 2 ने अभियुक्त सं. 3 से मिलकर फर्जीकारी करके हमारी फर्जी तामील कर फर्जी हस्ताक्षर कर बाद तामील नोटिस न्यायालय श्री मान के यहां पेश कर दिया गया था। जिसके आधार पर मुलजिमान ने उक्त प्रकरण में एकपक्षीय कार्यवाही कराकर इजराय अपने फायदे के हिसाब से फैसल करा लिया था।	मूल नोटिस पूरनचन्द, मदनमोहन व महेन्द्रकुमार प्राप्त किये [signature] दि. 20.12.23 PS कैथवाड़ा

जिसके आधार पर मुल्जिमान ने षड्यंत्र रचकर कूटरचित दस्तावेज तैयार कर न्यायालय श्री एस.डी.एम. साहब पहाड़ी के समक्ष पेश कर गुम परिवादी की जमीन को धोखाधड़ी से हड़पना चाहते है।

अत: निवेदन है कि मूल नोटिस हस्ताक्षर मिलान हेतु एफ एस एल भेजे जाने हो मूल नोटिस हस्ताक्षर मिलान हेतु दिये जावे। थानाधिकारी कैथवाड़ा को मूल नोटिस मूलचन्द, मदनमोहन एवं महेन्द्र कुमार दिये गये। उक्त नोटिसों की प्रमाणित प्रति पत्रावली मे रखी गई। साथ ही थानाधिकारी कैथवाड़ा को पाबन्द किया गया कि वे बाद अनुसंधान मूल नोटिस किता 3 को स्वयं इस न्यायालय को वापिस भिजवाये।

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (डीग)